

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 693]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2019 — कार्तिक 3, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक 11136/डी. 190/21-अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्र. 3 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

- | | | |
|---|----|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2019 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना. | 2. | इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 3 से 21 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। |
| धारा 19 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम में, धारा 19 में,-
(एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(क) अध्यक्ष, जो नगरपालिक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से निर्वाचित हुआ हो, और तत्पश्चात्, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ हो;”
(दो) उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(4) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जायेगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा :
परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेगी।” |
| | 4. | मूल अधिनियम में, धारा 20 में, उप-धारा (2) में, खण्ड (ख) में, उप-खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(तीन) अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;” |
| | 5. | मूल अधिनियम में, धारा 29-ख में, उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
“(4-क) ऐसी नगरपालिका तथा नगर पंचायत में जहां, इस धारा के अनुसार, अध्यक्ष का पद, किसी विशेष प्रवर्ग के उम्मीदवार के लिये आरक्षित किया गया हो, वहां ऐसा कोई भी निर्वाचित पार्षद, जो अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित प्रवर्ग का हो, अध्यक्ष के पद हेतु प्रत्याशी बन सकेगा, चाहे वह वार्ड, जहां से वह निर्वाचित हुआ हो, उस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हो या नहीं।” |

6. मूल अधिनियम में, धारा 30 में, खण्ड (सी) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
 "(डी) किसी पंचायत या किसी नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र से संबंधित किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत नहीं है;
 स्पष्टीकरण 1: इस धारा के प्रयोजन हेतु "पंचायत" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2 के खण्ड (सत्रह) में उसके लिए समनुदेशित है;
 स्पष्टीकरण 2: इस धारा के प्रयोजन हेतु "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 5 के खण्ड (34-क) में उसके लिए समनुदेशित है।"
- धारा 30 का संशोधन.
7. मूल अधिनियम में, धारा 32 में,—
 (एक) उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्षों तथा" जहां कहीं भी आया हो, का लोप किया जाये;
 (दो) उप-धारा (2) में, शब्द "अध्यक्षों तथा" का लोप किया जाये ।
- धारा 32 का संशोधन.
8. मूल अधिनियम में, धारा 32-क में, उप-धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 32-क का संशोधन.
9. मूल अधिनियम में, धारा 32-ख में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "पार्षद" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 32-ख का संशोधन.
10. मूल अधिनियम में, धारा 32-ग में, शब्द "अध्यक्ष या" का लोप किया जाये।
- धारा 32-ग का संशोधन.
11. मूल अधिनियम में, धारा 33 में,—
 (एक) शब्द "या अध्यक्ष" का लोप किया जाये;
 (दो) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्,—
 "परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति पार्षद के किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।"
- धारा 33 का संशोधन.
12. मूल अधिनियम में, धारा 34 में,—
 (एक) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) का लोप किया जाये;
 (दो) उप-धारा (4) का लोप किया जाये ।
- धारा 34 का संशोधन.
13. मूल अधिनियम में, धारा 35 में,—
 (एक) शब्द "अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या" का लोप किया जाये;
 (दो) खण्ड (घघ) में, शब्द "अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा" का लोप किया जाये ।
- धारा 35 का संशोधन.
14. मूल अधिनियम में, धारा 43 में—
 (एक) शीर्षक में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंतःस्थापित किया जाये;
 (दो) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
 "(1) राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिक परिषद् एवं नगर पंचायत के प्रत्येक निर्वाचन के तुरंत पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, करवायेगा। परिषद के निर्वाचित सदस्य, धारा 55 में यथाविनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित सदस्यों में से, विहित रीति में, एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।"
 (तीन) उप-धारा (3) में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंतःस्थापित किया जाये।
- धारा 43 का संशोधन.

- धारा 43-क का संशोधन. 15. मूल अधिनियम में, धारा 43-क में,—
 (एक) शीर्षक में, शब्द "उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंतःस्थापित किया जाये;
 (दो) उप-धारा (1) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष या" अंतःस्थापित किया जाये;
 (तीन) उप-धारा (2) में, खण्ड (दो) में, शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर, शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 47 का संशोधन. 16. मूल अधिनियम में, धारा 47 का लोप किया जाये।
- धारा 55 का संशोधन. 17. मूल अधिनियम में, धारा 55 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—
 "55. साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन—
 (1) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 45 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा।
 (2) उप-धारा (1) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जायेगा, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किया जाये, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी। अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में, परिणाम लाट द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।"
- धारा 56 का संशोधन. 18. मूल अधिनियम में, धारा 56 में, अंक "47" का लोप किया जाये।
- धारा 62 का संशोधन. 19. मूल अधिनियम में, धारा 62 में, उप-धारा (3) में, खण्ड (तीन) के परंतुक में, शब्द तथा अंक "या 47" का लोप किया जाये।
- धारा 63 का संशोधन. 20. मूल अधिनियम में, धारा 63 में, परंतुक में, शब्द "उपाध्यक्ष या" का लोप किया जाये।
- धारा 328 का संशोधन. 21. मूल अधिनियम में, धारा 328 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आये हों के पूर्व, शब्द "अध्यक्ष तथा" अंतःस्थापित किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक 11137/डी. 190/21-अ/प्रारू./छ.ग./19. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-10-2019 का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2019)

THE CHHATTISGARH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2019.

An Ordinance to further amend the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh, in the Seventieth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <p>(1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2019.</p> <p>(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.</p> | <p>Short title, extent and commencement.</p> |
| 2. | <p>During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendment specified in Section 3 to 21 of this Ordinance.</p> | <p>The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) to be temporarily amended.</p> |
| 3. | <p>In the Principal Act, in Section 19,—</p> <p>(i) in sub-section (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely:-
"a) a President, that is Chairperson, who should be an elected Councilor from some ward in the Municipal area, and is elected thereafter as President by the elected Councilors of the Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be;"</p> <p>(ii) for sub-section (4), the following shall be substituted, namely:
“(4) If any ward of any municipal area fails to elect a Councilor, fresh election proceedings shall be commenced for such ward within six months to fill the seat and until the seat is filled, it shall be treated as casual vacancy:
Provided that proceedings of election of President or Vice-President, or any of the Committees under the Act shall not be stayed, pending the election to such seat.”</p> | <p>Amendment of Section 19.</p> |
| 4. | <p>In the Principal Act, in Section 20, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely:-
“(iii) in the case of election of President by any Councilor;”</p> | <p>Amendment of Section 20.</p> |
| 5. | <p>In the Principal Act, in Section 29-B, after sub-section (4), the following shall be added, namely:-
“(4-a) In the case of Municipal Councils and Nagar Panchayats where, in terms of this Section, the office of the President is reserved for candidate from a specific category, any elected councilor belonging to such category for which the office of the President is reserved, may become a candidate for the office of President, irrespective of whether the ward he was elected from was reserved for such category or not.”</p> | |
| 6. | <p>In the Principal Act, in Section 30, after clause (c), the shall be added, namely:
“(d) is not registered in any electoral roll related to a Panchayat or municipal area of a municipality:</p> | <p>Amendment of Section 30.</p> |

Explanation-1: For the purpose of this section 'Panchayat' shall have the same meaning as assigned to it in clause (xvii) of Section 2 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994):

Explanation-2: For the purpose of this Section "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in clause (34-a) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956)."

- Amendment of Section 32.** 7. In the Principal Act, in Section 32,-
- (i) in sub-section (1), the words "Presidents and" wherever they occur, shall be omitted.
- (ii) In sub-section (2), the words "Presidents and" shall be omitted.
- Amendment of Section 32-A.** 8. In the Principal Act, in Section 32-A, in sub-section (1), for the word "President" wherever it occurs, the word "Councilor". shall be substituted.
- Amendment of Section 32-B.** 9. In the Principal Act, in Section 32-B, for the word "President", the word "Councilor" shall be substituted.
- Amendment of Section 32-C.** 10. In the Principal Act, in Section 32-C, the words "President or" shall be omitted.
- Amendment of Section 33.** 11. In the Principal Act, in Section 33,—
- (i) the words "or President" shall be omitted;
- (ii) for proviso, the following shall be substituted, namely :-
"Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councilor."
- Amendment of Section 34.** 12. In the Principal Act, in Section 34,-
- (i) in sub-section (1), clause (a) shall be omitted;
- (ii) sub-section (4) shall be omitted.
- Amendment of Section 35.** 13. In the Principal Act, in Section 35,—
- (i) the words "election nomination as a President or" shall be omitted;
- (ii) In clause (dd), the words "is less than twenty-five years of age, in the case of a President and" shall be omitted.
- Amendment of Section 43.** 14. In the Principal Act, in Section 43,—
- (i) in the heading, before the words "Vice President", the words "the President and" shall be inserted.
- (ii) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-
"(1) The State Election Commission shall cause the election of President and Vice-President immediately after every election of Municipal Council and Nagar Parishad in such manner as may be prescribed. The elected members of the Council shall elect a President and a Vice-President in the prescribed manner, from elected members in its first meeting as specified in Section 55."
- (iii) In sub-section (3), before the words "Vice President", the words "the President and" shall be inserted.
- Amendment of Section 43-A.** 15. In the Principal Act, in Section 43-A,—
- (i) in the heading, before the words "Vice President", the words "the President or" shall be inserted.
- (ii) in sub-section (1), before the words "Vice President", wherever they occur, the words "the President or" shall be inserted.
- (iii) in sub-section (2), in clause (ii), for the word "President", the words "President, Vice-President" shall be substituted.

16. In the Principal Act, Section 47 shall be omitted. **Amendment of Section 47.**
17. In the Principal Act, for Section 55, the following shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 55.**
"55.First Meeting after General Election.—
(1) The State Election Commission shall, within 15 days from the date of the notification of election under section 45, call a meeting of the elected Councilors for the purpose of electing a President and Vice-President.
(2) Meeting under sub-section (1) shall be called in such manner as may be determined by the State Election Commission, which shall be presided over by the officer authorized by the State Election Commission. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes, the result shall be decided by lot."
18. In the Principal Act, in Section 56, the figure "47" shall be omitted. **Amendment of Section 56.**
19. In the Principal Act, in Section 62, in sub-section (3), in the proviso to clause (iii), the word and figure "or 47" shall be omitted. **Amendment of Section 62.**
20. In the Principal Act, in Section 63, in the proviso, the words "Vice President, or the", shall be omitted. **Amendment of Section 63**
21. In the Principal Act, in Section 328, in sub-section (1), in clause (b), before the word "Vice-President" wherever they occur, the words "President and" shall be inserted. **Amendment of Section 328.**